सदस्यता

1. व्यक्तिगत सदस्यता - शुल्क रु. 100/-

1. प्रत्येक तीन वर्षों के लिये होगी।
   उदाहरणार्थ (1 अप्रैल 2016 से 30 मार्च 2019 तक के लिये।)
2. यह सदस्यता अभियान प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी से 31 मार्च तक होगी। पहले साल अर्थात् 2016 तक की सदस्यता जिनकी होगी वह तीन वर्षों के लिये किन्तु जिन्हे हम दूसरे वर्ष 2017 में सदस्य बनावेंगे उनको दो साल मिलेगा वैसे ही 2018 में जिन्हे सदस्य बनायेंगे उनका शुल्क उतना ही होगा किन्तु एक साल की सदस्यता होगी।
3. तीन वर्षों के पश्चात् हमें सदस्यता का पुनश्च नवीनीकरण करना होगा।

2. संस्थागत सदस्यता -

1. **प्रायमरी सोसायटियाँ** - सभी प्रकार की प्रायमरी सोसायटियाँ चाहे वह पैक्स हो या डेयरी अथवा मार्केटिंग, चाहे सिंचाई हो या स्वयं सहायता समूह, चाहे मत्स्य हो या बुनकर, समस्त प्रकार की प्रायमरी सहकारी समितियों से 100/- सदस्य शुल्क प्रत्येक 3 वर्ष के लिये होगा।
2. **फेडरेशन एवं असोसिएशन्स** - सभी प्रकार के फेडरेशन एवं असोसिएशन का प्रत्येक 3 वर्ष के लिये 1000/- रुपये सदस्य शुल्क रहेगा।
3. **क्रेडिट सोसायटियाँ** - प्रत्येक वर्ष रु. 1000/-
4. **अर्बन को-आपरेटिव बैंक** - प्रत्येक बैंक का सदस्य शुल्क रु. 10,000/- होगा। (इनकी सदस्यता का विषय केन्द्रिय होगा।) अन्य सभी सदस्यता, प्रदेश, संभाग, जिला, तहसील एवं प्रकोष्ठ टीम की इकाईयों के द्वारा करणीय होगा।
   (यह सभी सदस्यता - संगठन एवं प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। जैसे जैसे प्रकोष्ठों का काम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रकोष्ठ अपने क्षेत्रों के सोसायटियों की व्यापक सदस्यता करेंगे।)

वितरण -

1. सदस्यता राशि की 30 प्रतिशत प्रदेश, 30 प्रतिशत संभाग, 30 प्रतिशत जिला एवं 10 प्रतिशत राशि केंद्र को देय होगी।
2. बैंक की सदस्यता राशि केंद्र की होगी।
3. जिन प्रदेशों में संभाग नहीं वहाँ 60 प्रतिशत प्रदेश का होगा।
4. प्रदेश आवश्यकतानुसार जिलो को सहयोग करेंगे। (यह राशि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के बाद अप्रैल में वितरित की जायेगी।)